संख्या-37/407जेपीआर/22-3-14-800(101)/2014

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
एटा।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 07 अक्टूबर, 2014***

विषय- जिला कारागार, एटा के बंदी अशोक कुमार उर्फ रंजीत पुत्र स्व0 सरूप सिंह, निवासी ग्राम-घिलौआ, थाना-कोतवाली देहात, जिला-एटा को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, एटा के बंदी अशोक कुमार उर्फ रंजीत पुत्र स्व0 सरूप सिंह, निवासी ग्राम-घिलौआ, थाना-कोतवाली देहात, जिला-एटा को शासनादेश संख्या-5/1947जेएल/22-3-14-800(101)/2014, दिनांक 29-08-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-37/407जेपीआर(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, एटा।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in